

भारत सरकार  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग  
**लोक सभा**  
**तारांकित प्रश्न संख्या 40**  
04/02/2025 को उत्तरार्थ

**विषय: एमएसपी की गारंटी के लिए कानून**

**\*40. श्री सचिदानन्दम आर.:**

**श्री सु. वेंकटेशन:**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्रालय का एम.एस. स्वामीनाथन पैनल के आधार पर किसानों द्वारा की गई मांग के अनुसार ऐसा कानून लाने का प्रस्ताव है जिससे एमएसपी की गारंटी मिले, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या मंत्रालय का किसानों की मांग को पूरा करने और सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धता/वादे को कार्यान्वित करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)**

(क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**‘एमएसपी की गारंटी के लिए कानून’ के संबंध में दिनांक 04.02.2025 को उत्तर के लिए देय लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 40\* के भाग (क) और (ख) के उत्तर के संदर्भ में उल्लिखित विवरण**

(क) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए 12 जुलाई 2022 को एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की विषय-वस्तु में (i) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की व्यवहार्यता पर सुझाव तथा इसे अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय, तथा (ii) देश की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुसार कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, ताकि घरेलू एवं निर्यात अवसरों का लाभ उठाकर किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के माध्यम से उन्हें अधिक मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। इस समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं तथा अब तक 6 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न उप-समितियों की 39 बैठकें भी आयोजित की जा चुकी हैं।

(ख) किसानों के लाभ हेतु सरकार ने कई पहलें की हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) वर्ष 2018-19 में बजट घोषणा के पश्चात, सरकार द्वारा 22 अधिदेशित फसलों के एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर निर्धारित किया गया।
- (ii) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
- (iii) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
- (iv) प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
- (v) कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)
- (vi) 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन एवं संवर्धन
- (vii) प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
- (viii) संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस)
- (ix) राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
- (x) स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि (एग्रीशोर)
- (xi) प्राकृतिक कृषि पर राष्ट्रीय मिशन
- (xii) कृषोन्नति योजना
- (xiii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

\*\*\*\*\*